

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1213 जयपुर,दिनांक: 29-06-2007
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

“दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना” के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 4123 दिनांक 7.5.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- भीलवाडा

(ब) गांव का नाम:- केरिया पंचायत का नाम:- केरिया पंचायत समिति:- माण्डल

(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

(राशि रु. लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAGY मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	खातियों की वाली एनीकट पर आव मरम्मत व सफाई कार्य	2.00	1.80	0.20
2	खंरजा व नाली निर्माण वार्ड नं. 8,9,10 केरिया	4.00	3.60	0.40
3	खंरजा भील बरती केरिया	2.50	2.25	0.25
4	टंकी निर्माण मामा देव मगरी देवीपुरा व सार्वजनिक कूप देवी सागर से टंकी व गांव देवीपुरा को पाईप लाईन से जोडना	2.00	1.80	0.20
5	एनिकट निर्माण नर्सरी के लिये	4.00	3.60	0.40
6	रा.मा.वि. केरिया में 2 हॉल निर्माण	5.00	4.50	0.50
7	आई.ई.सी.	0.50	0.50	-
8	योग	20.00	18.05	1.95

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।

(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल (भीलवाडा)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, केरिया पंचायत समिति, माण्डल (भीलवाडा)।

शासन सचिव एवं आयुक्त